ग्राम पंचायत देवरा, विकास खंड कुनिहार, जिला सोलन के लेखों का
अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016
भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने एवं संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्यां PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07/04/2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० को सौंपने जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत देवरा, विकास खंड कुनिहार जिला सोलन के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया|

"अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे, परिशिष्ट ड़

क्रम सं0	प्रधान	अवधि	सचिव	अवधि
1.	श्री नरोतम दास	23/01/11 से 22/01/16	श्रीमती श्वेता शर्मा	06/09/12 से 31/03/16
2.	श्रीमती अंजना ठाकुर	23/01/16 से आगे		

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार
अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	एस0 जी0 आर0 वाई0 से संबन्धित रोकड़ वही प्रस्तुत न करना	
2	8	विभिन्न अनुदानों से संबन्धित राशियों का उपयोग न करना	10.76
3	12	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखना	
4	16	इन्दिरा आवास योजना/अटल आवास योजना के अंतर्गत किए गए भुगतान से संबन्धित आनियमितताएँ	
5	22 (क)	अस्थाई अग्रिमों का समायोजन न करना	0.20
6	22 (ख)	अनियमित रूप से अग्रिम राशि जारी करना	0.79

भाग -दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत देवरा के अवधि 1-04-2013 से 31.3.2016 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण व निरीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दर्शायें गए है, श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 18/07/2016 से 23/07/2016 के दौरान ग्राम पंचायत देवरा में किया गया। अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जांच हेतु माह 3/14, 8/14 व 11/15 व व्यय की विस्तृत जांच हेतु माह 3/14, 12/14 तथा 11/15 का चयन किया गया।

यह अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए अभिलेख एवं सूचनाओं पर आधारित है तथा पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा किसी अभिलेख अथवा सूचना के गलत उपलब्ध करवाए जाने/अपूर्ण उपलब्ध करवाए जाने अथवा उपलब्ध ही न करवाए जाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत देवरा के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000/- बनता है। अनुभाग अधिकारी (ले0प0) की अंकेक्षण ज्ञापन अधियाचना संख्यां 6 दिनांक 23/07/16 द्वारा इस राशि को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-9 को भेजने हेतु अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

(क) (i) ग्राम पंचायत देवरा द्वारा प्रस्तुत पंचायत के स्व-स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित अवधि 1.04.2013 से 31.03.2016 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी जिसका विवरण परिशिष्ट "क" पर भी दिया गया है।

वर्ष	आरम्भिक शेष	प्राप्तियां	कुल योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	359643.23	911945.00	1271588.23	702447.00	569141.23
2014-15	569141.23	1658045.00	2227186.23	1630398.00	596788.23
2015-16	596788.23	950530.00	1547318.23	471254.50	1076063.73
दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष					1076063.73
हस्तगत राशि					(-)42539
दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार हस्तगत शेष को छोड़ कर शेष					1033524.73
दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों के अनुसार शेष					1020930.22
(परिशिष्ट "क")					
दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेष में अन्तर:-					12594.51

(क) (ii) स्व-स्त्रोतों एवं अनुदानों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे :-

अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों **(परिशिष्ट " "क"")** में उपरोक्त विवरण के अनुसार दिनांक 31/03/16 को ₹12594.51 का अंतर दर्शाया गया है , परन्तु **परिशिष्ट ""क""** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2013 को डाक घर बातल में भी ₹1000/- का शेष था , जिसे पंचायत कार्यालय द्वारा **(परिशिष्ट ""क")"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई आरम्भिक शेषों की सूची में नहीं दर्शाया गया था | यदि इस राशि को भी आरम्भिक शेषों की सूची में लिया जाता तो दिनांक 31/03/16 को ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों का अंतर ₹12594.51 के स्थान पर ₹13594.51 होता | इसके अतिरिक्त कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹13594.51 के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिचित की जाए |

(ख) (i) ग्राम पंचायत देवरा द्वारा प्रस्तुत पंचायत की मनरेगा से सम्बन्धित अवधि 1.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है।

वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**प्राप्तियां**	**कुल योग**	**व्यय**	**अंतिम शेष**
2013-14	3686.00	1263358.00	1267044.00	1277521.00	-10477.00
2014-15	-10477.00	1166185.50	1155708.50	1165904.50	-10196.00
2015-16	-10196.00	-------		------	--------

दिनांक 31/03/2015 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष (-)10196.00
(परिशिष्ट "क")

दिनांक 31/03/2015 को विभिन्न बैंक खातों के अनुसार शेष = 281.00
(परिशिष्ट "क")

दिनांक 31/03/2015 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न
बैंक खातों के शेष में अन्तर 10477

(ख) (ii) मनरेगा की रोकड़ बही न लिखे जाने बारे तथा बैंक समाधान विवरणी प्रस्तुत न किये जाने बारे

मनरेगा की रोकड़ बही में वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ पूर्ण नही की गई थी, इन विविध कार्य में अवधि 1/04/15 से 31/08/15 तक जो प्रविष्टियाँ भी की गई थी वह भी अपूर्ण थी| इस अवधि के दौरान न तो रोकड़ बही में शेष निकाले गये थे व न ही आय व्यय से सम्बन्धित प्रविष्टियों का नियमानुसार सत्यापन किया गया था| दिनांक 01/09/15 से 31/03/16 तक रोकड़ भी में आय व्यय से सम्बन्धित कोई भी प्रविष्टी दर्ज नही की गई थी। इस प्रकार रोकड़ बही का नियमित रूप से न लिखा जाना एक गम्भीर अनियमितता है। रोकड़ बही के अपूर्ण होने के कारण वर्ष 2015-16 से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति भी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही की

गई| यह गम्भीर अनियमितता उच्चाधिकारियों के ध्यान में लाई जाती है| अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति तथा बैंक खाते के शेषों में उपरोक्त विवरण के अनुसार दिनांक 31/03/15 को ₹10477/- का अंतर दर्शाया गया है , परंतु कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया तथा न ही दिनांक 31/03/15 को बैंक में ₹281/- के शेष होने बारे प्रमाण पत्र प्राप्त करके प्रस्तुत किया गया| इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा रोकड़ बही पूर्ण करके तथा दिनांक 31/03/16 को इसका बैंक खाते में दर्शाए गए शेष से मिलान करके बैंक समाधान विवरणी आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में रोकड़ बही का नियमित रूप से लिखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) (iii) स्वस्त्रोत तथा अनुदानों से सम्बन्धित रोकड़ बही में दिनांक 03/04/13 को आरम्भिक हस्तगत शेष के साथ ₹41,797/- का uncashedचैक cheqदर्शाया गया था परन्तु रोकड़ बही में न तो cheque चैक की संख्यां /दिनांक के बारे स्पष्ट किया गया और न ही यह स्पष्ट किया गया की यह cheque cash हुआ और न ही इस से सम्बन्धित कोई विवरण दर्ज था। इस संदर्भ में मौखिक रूप से चर्चा के दौरान भी कोई जानकारी भी प्रदान नहीं की गई। अत: बैंक से मिलान करके तथा इस बारे आवश्यक कार्यवाही करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

दिनांक 17/10/14 को रोकड़ वही के पृष्ठ संख्यां 68 के अनुसार बैंक से ₹98549/-का आहरण किया गया था तथा उक्त निकाली गई इस राशि के विरुद्ध विभिन्न मदों पर ₹98585/- का भुगतान किया गया दर्शाया गया था, जोकि उपलब्ध राशि से ₹36 /- (98585 - 98549) अधिक था| अत: उपलब्ध राशि से अधिक भुगतान किये जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए जबकि इस तिथि को आरम्भिक एवम अंतिम नगद शेष ₹99/- दर्शाया गया था|

(ख) (iv) स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित पृथक -2 वित्तीय स्थिति प्रस्तुत न करने बारे:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 5 दिनांक 20/07/16 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति पृथक-2 रूप से प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया था , परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही की गई| अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित आय व्यय के लिए एक ही रोकड़ बही व सयुंक्त बैंक खातों का रख रखाव किया जा रहा था तथा बही खाते (ledger) को up नहीं किया था| उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान न तो स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित शुद्द आय तथा व्यय के बारे में तथा न ही दिनांक 31/03/16 को स्वस्त्रोतों के शुद शे षो तथा अनुदानों के शुद शे षो बारे स्थिति स्पष्ट हो सकी| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब इस बारे अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए ताकि दिनांक 31/03/16 को स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों के शुद्द वित्तीय शेषों बारे स्थिति स्पष्ट हो सके| इसके अतिरिक्त भविष्य में

स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित आय व्यय को दर्ज करने हेतु पृथक- पृथक रोकड़ बहियों तथा पृथक बैंक खातों का रख रखाव किये जाने के साथ-2 खाता बहियों का नियमित रूप से update किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए|

(ग) (i) ग्राम पंचायत देवरा द्वारा प्रस्तुत की इंदिरा आवास योजना/अटल आवास योजना/ IAY से सम्बन्धित लेखाओं की अवधि 1. 04.2013 से 31. 03.2016 की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से है, जिसका विवरण **परिशिष्ट "क"** पर भी दिया गया है ।

वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**प्राप्तियां**	**कुल योग**	**व्यय**	**अंतिम शेष**
2013-14	535.00	409853.00	410388.00	357000.00	53388.00
2014-15	53388.00	299182.00	352570.00	316612.00	35958.00
2015-16	35958.00	302223.00	338181.00	307500.00	30681.00

दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष =30681.00
(परिशिष्ट "क")
दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न बैंक खातों के अनुसार शेष = 30703.00
(परिशिष्ट "क")
दिनांक 31/03/2016 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न
बैंक खातों के शेष में अन्तर:- ₹22/-

(ii) इंदिरा आवास योजना/अटल आवास योजना/ IAY से सम्बन्धित वित्तीय स्थिति से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे :-

अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत की गई ग्राम पंचायत की वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों **(परिशिष्ट "क")** में उपरोक्त विवरण के अनुसार दिनांक 31/03/16 को ₹22/- का अंतर दर्शाया गया है| परंतु कई बार आग्रह करने पर भी न तो इस अंतर के कारणों से अंकेक्षण को अवगत करवाया गया व न ही दिनांक 31/03/16 को बैंक समाधान विवरणी तैयार कर के अंकेक्षण समक्ष प्रस्तुत की गई| अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति तथा विभिन्न बैंक खातों के शेषों ₹22/- के अंतर के कारण चिन्हित करके तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिचित की जाए|

5 वित्तीय स्थिति में दर्शाए गए आरम्भिक शेषों बारे

(i) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "क")** के अनुसार दिनांक 1/04/2013 को जो आरम्भिक शेष उठाए गए थे यह आरम्भिक शेष Trialवर्ष 2012-13 में से उठाए गए थे , परन्तु 31/03/13 के Trial balance में विभिन्न बैंकों के दर्शाए गए शेषों का बही खाते (ledger) के शेषों से मिलान नहीं हो पाया , क्योंकि पंचायत सचिव के अनुसार बही खाते में शेषों को नहीं किया गया था| इस कारण आरम्भिक शेष के अंतर्गत दर्शाए गये विभिन्न बैंकों के शेष बही खाता

में दर्शाए गये बैंकों के शेष के अनुसार सही हैं , इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी| अत: दिनांक 31/03/13 को बही खाते में सभी खातों के शेष निकाल कर तथा उन शेषों को सक्षम प्राधिकारी से सत्यापित करवाकर के अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि दिनांक 1/04/13 को उपरोक्त परिशिष्ट के अनुसार गए आरम्भिक शेष सही होने की पुष्टि की जा सके|

(ii) अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "क")** के अनुसार दिनांक 1/04/2013 को क्रम संख्यां 3,4,5,6,7,9,10,11 (स्वस्त्रोत/अनुदान) तथा क्रम संख्यां 3 (SGRY) पर जिन बैंकों/post ऑफिस से सम्बन्धित खातों के आरम्भिक शेष दर्शाए गए थे , यह खाते कब बंद किये गये तथा इन में जमा राशी का क्या किया गया , इस से सम्बन्धित न तो कोई जानकारी उपलब्ध करवाई गई तथा न ही इन खातों से सम्बन्धित शेषों को दिनांक 31/03/16 को अंकेक्षण को अंतिम शेषों में दर्शाया गया प्रतीत होता है। अत: उपरोक्त खातों तथा साथ में डाक घर बातल के बारे में वास्तविक स्थिति जानकारी प्राप्त करके वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए|

6 एस.जी.आर.वाई. से सम्बन्धित रोकड़ बही एवं वित्तीय स्थिति प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई परीक्षा संतुलन सूची (trial balance) के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31/03/2013 को एस.जी.आर.वाई. मद के अंतर्गत ₹10105.50 [105.50 (यूको बैंक अर्की में शेष राशि)+ 10000(नगद शेष पूर्व प्रधान)] शेष था| अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह के बावजूद एस.जी.आर.वाई. से सम्बन्धित रोकड़ बही, बैंक पास बुक, वित्तीय स्थिति इत्यादि अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं की गई , जोकि एक एक गम्भीर अनियमितता है| इस कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान एस.जी.आर.वाई. से सम्बन्धित आय व्यय की पड़ताल नहीं की जा सकी| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 सम्बन्धित रोकड़ बही , बैंक पास बुक उक्त वित्तीय स्थिति एवं बैंक समाधान विवरणी तैयार करके आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

7 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत प्राप्तियों व भुगतान से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध न करवाने बारे

अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 5 दिनांक 20/07/16 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से विभिन्न अनुदानों की पृथक -2 रूप से अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित वर्षवार आरम्भिक शेषों, प्राप्तियों, भुगतानों तथा अंतिम शेषों बारे जानकारी मांगी गई थी , परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक उक्त जानकारी एवं सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नही किए गए। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत में स्वस्त्रोतों तथा अनुदानों से सम्बन्धित प्राप्तियों व भुगतान के लिए एक ही रोकड़ बही व सयुंक्त बैंक खातों का रख रखाव किया जा रहा था तथा यह भी प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में अनुदान प्राप्ति से संबन्धित रजिस्टर का रख रखाव भी नहीं किया जा रहा था , क्योंकि बार-2 मांगने पर यह पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। उपरोक्त परिस्थितियों के

कारण विभिन्न अनुदानों की पृथक -2 रूप से अंकेक्षण अवधि से सम्बन्धित वर्षवार आरम्भिक शेषों, प्राप्तियों, भुगतानों तथा अंतिम शेषों बारे पड़ताल करना सम्भव नहीं था। अत: उपरोक्त जानकारी उपलब्ध न करवाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब इस बारे अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करके तथा उपरोक्त वांछित अभिलेख तैयार करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य में अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख का रख रखाव सही रूप से किया जाना भी सुनिश्चित किया जाये।

8 विभिन्न अनुदानों से सम्बन्धित राशियों का निर्धारित अवधि के दौरान उपयोग न करना

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "क")** के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31/03/16 को वित्तीय स्थिति (IAY/AAY) के अनुसार अनुदान की ₹30,681/- अनुदान शेष थी। इसी प्रकार वित्तीय स्थिति (स्वस्त्रोत तथा अनुदान) के अनुसार दिनांक 31/03/16 को कुल ₹1076063.73 दर्शाई गई थी तथा इस राशि में विभिन्न अनुदानों की शेष की राशि भी सम्मिलित थी। इस से यह प्रतीत होता है कि अनुदान की राशियों का उपयोग निर्धारित अवधि के दौरान नही किया गया था , जिसके फलस्वरूप धन का अवरोधं होने के साथ -साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। अत: अनुदान से सम्बन्धित राशियों को निर्धारित अवधि के दौरान व्यय न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा दिनांक 31/03/2016 को जिन अनुदानों की राशियों को व्यय करने की निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है उन राशियों को व्यय करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करनी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

9 बैंक पास बुक प्रस्तुत न करना

बैंक पास बुक (SBOP बातल, खाता संख्यां 18716) अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं की गई जिस कारण पास बुक में दिनांक 31/03/16 को ₹1322.49 के शेष होने बारे की पड़ताल नहीं की जा सकी। अत: उपरोक्त बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर बैंक पास बुक प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए।

10 सावधि निवेश

ग्राम पंचायत द्वारा उपब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ग")** के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नही की गई थी , जबकि हि०प्र० पंचायती राज 2002 के नियम 11 के अनुसार जिस राशि का उपयोग 6 माह तक नहीं किया जाना हो तो उस राशि को इस बारे प्रस्ताव पारित करके सावधि जमा में निवेश किया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। जबकि ग्राम पंचायत द्वारा इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अत: सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में उपरोक्त नियम में दिए गये निदेशों की अनुपालना की जानी सुनिश्चित की जाए ताकि ग्राम पंचायत को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके।

11 रसीद बुक से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 5 (4 तथा 5) का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। चयनित मासों में आय की पड़ताल दौरान रसीदों की पड़ताल पर पाया गया कि रसीद बुक्स पर उपरोक्त नियमों में दिए गये निर्देशानुसार जिला पंचायत अधिकारी तथा प्रधान द्वारा काउंट सर्टिफिकेट नही दिये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त रसीद बुक्स के स्टोक रजिस्टर का रख रखाव भी सही रूप से नही किया जा रहा है जिससे रजिस्टर से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा कितनी रसीद बुक्स समाप्त की जा चुकी हैं तथा कितनी शेष है। रसीद बुक रजिस्टर के स्तम्भ भी पूर्ण रूप से नही भरे जा रहे थे। रसीदों के रख रखाव में अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है। अत: उपरोक्त अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे अपेक्षित कार्यवाही करके कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रसीद बुक संख्यां	**राशि**	**टिप्पणी**
100377 /6/11/15	10/-	रसीद को अपने स्तर पर ही रद्द कर दिया गया था।
274701 से 274800	----------	रसीद बुक के आरम्भ में नियमानुसार प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं |
274901 से 275000	-----------	यथोपरि
274801 से 274900	------------	यथोपरि
274201 से 274300	------------	यथोपरि

12 रोकड़ बही से सम्बन्धित अनियमितताओं के बारे में

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 7(1,2 व 3) तथा 10 (3) में दिए गए निर्देशों का अनुसरण नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बही में कटिंग्स एवं ओवर राइटिंग की गई थी। पंचायत की रोकड़ बही में कई तिथियों को वाउचर संख्यां तथा कई बिलों/कैश मैमों पर प्रस्ताव संख्यां नहीं लिखी गई थी। रोकड़ बही में कई तिथियों की प्रविष्टियाँ का सत्यापन नहीं किया गया था। इसके आलावा माह के अंत में नियमानुसार प्रधान द्वारा न तो प्रमाण पत्र दिया जा रहा था तथा न ही वर्ष के अंत में कैश/बैंक्स के शेषों का विवरण दिया गया था। इसके अतिरिक्त निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत में राशि भी रखी गई थी। इन अनियमितताओं से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है। अत: इन अनियमितताओं बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इनके बारे आवश्यक अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही	**रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां**	**माह / दिनाक**	**विवरण / टिप्पणी**

स्वस्त्रोत एवं अनुदान	49	03/14	वाउचर पर प्रस्ताव संख्यां नहीं लिखी गई थी। (वाउचर की ₹1500/-)
	10	11/15	यथोपरि(वाउचर की ₹300/-)
	10	11/15	यथोपरि(वाउचर की ₹361/-)
	13	12/15	यथोपरि तथा प्रधान की व्यय स्वीकृति भी नही ली गई थी। (वाउचर की ₹5000/-)
स्वस्त्रोत एवं अनुदान	32	04/13	कटिंग्स तथा ओवर राइटिंगस।
	45	02/14	यथोपरि
	50	03/14	यथोपरि
	54	05/14	यथोपरि
	60	07/14	यथोपरि
	69	10/14	यथोपरि
	78	03/15	यथोपरि
	12	12/15	यथोपरि
रोकड़ बही AYIAY/AAY	15	01/15 से 02/15	यथोपरि
रोकड़ बही मनरेगा	29	06/13	यथोपरि
	42	12/13	यथोपरि
	44	02/14	यथोपरि
	56	06/14	यथोपरि
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	17 तथा 18	03/16	रोकड़ बही में प्रमाण पत्र न देना तथा नगद /बैंकों के शेष का विवरण न देना
	14	01/16 तथा 02/16	यथोपरि
IAY/AAY	21	12/15	यथोपरि
	20	11/15	यथोपरि
रोकड़ बही स्वस्त्रोत तथा अनुदान	35	6/7/13	रोकड़ बही में प्रविष्टियों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन न करना
	36	8/8/13	यथोपरि
	37	5/9/13	यथोपरि
	41	7/11/13	यथोपरि
	43	17/11/14	यथोपरि
	001	22/4/15	यथोपरि
रोकड़ बही IAY/AAY	16 से 21	7/1/15 से 31/12/15	यथोपरि
रोकड़ बही	40	12/13	यथोपरि

मनरेगा			
रोकड़ बही स्वस्त्रोत तथा अनुदान	32 से 50	04/13 से 03/14	निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि impress का रखना (₹3000/- से अधिक)
	12 से 17	15/12/15 से 25/03/16	यथोपरि (₹42539/-)

13 आय

आय की पड़ताल के दौरान न तो निम्नलिखित प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित दस्तावेज अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गए तथा न ही अनुदान रजिस्टर अंकेक्षण में प्रस्तुत किया गया, जिस कारण प्राप्त हुई इन राशियों के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी। इस से यह भी प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा अनुदान के रजिस्टर का रख रखाव ही नही किया जा रहा है। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा निम्नलिखित प्राप्तियों से सम्बन्धित दस्तावेज/पत्र तथा अनुदान के रजिस्टर आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किए जाने सुनिश्चित किए जाए।

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	रसीद संख्यां / दिनांक	राशि
स्वस्त्रोत एवं अनुदान	48	100328 / 11/03/14	100000/-
	48	100329 / 11/03/14	40000/-
	49	100330 / 11/03/14	80000/-
	49	100331 / 11/03/14	90000/-
	49	100332 / 31/03/14	15150/-
	50	31/03/14	22950/-
	60	100273 / 13/08/14	8000/-
	60	100274 / 13/08/14	8000/-
	60	100275 / 13/08/14	8200/-
	61	100276 / 13/08/14	19600/-
	61	100277 / 13/08/14	68600/-
	61	100278 / 13/08/14	49000/-
	61	100279 / 13/08/14	98000/-
	61	100280 /	12250

		13/08/14	0/-
	61	100281 / 13/08/14	98000 /-
आई.ए.वाई./ए.ए.वाई.	8	08/03/14	12000 0/-
---	8	08/03/14	20400 /-
मनरेगा	49	03/14	5000 0/-

14 मनरेगा के अंतर्गत ₹296/- का अधिक भुगतान किये जाने बारे

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में ₹296/- का अधिक भुगतान किया गया था। अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उपयुक्त स्त्रोत से ₹296/- की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

दिनांक	**रोकड़ भी पृष्ठ संख्यां**	**मस्टरोल संख्यां**	**जितनी राशि का भुगतान किया गया (₹)**	**जितनी राशि का भुगतान किया जाना चाहिए था (₹)**	**जितनी राशि का अधिक भुगतान किया गया**
22/03/14	51	3310	32706	32430	276
31/03/14	53	3723	8852	8832	20
				कुल योग	**296**

15 औपचारिकताएँ पूरी किये बिना भुगतान करने बारे :-

मनरेगा के अंतर्गत किए गए व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि कई मस्टररोल्स का भुगतान आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण किये बिना ही कर दिया गया था| इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है| अत: इनके बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ -2 अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष में इन अनियमितताओं की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए|

रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां / दिनांक	**मस्टर रोल संख्यां**	**राशि (₹)**	**टिप्पणी**
47	3108/-	11178/-	सक्षम तकनीकी प्राधिकारी के सत्यापन बिना भुगतान कर दिया गया था।
47	13110030790100	6890/-	यथोपरि
----------	-----------------	-----------	माह 03/14 में भुगतान किये गये मस्टर रोलों से सम्बन्धित movementslipपूरी तरह भरी नही गई थी।
			माह 12/14 में भुगतान किये गये

----------	----------------	------------ ---	मस्टर रोलों से सम्बन्धित movement slip प्रस्तुत नही की गई।

16 इंदिरा आवास योजना / अटल आवास योजना के अंतर्गत किए भुगतान से संबन्धित अनियमितताएँ

अंकेक्षण के दौरान व्यय की पड़ताल के दौरान अधिकतम प्रकरणों में पाया गया कि लाभार्थीयों को मकान के निर्माण हेतु किश्तों का भुगतान प्रधान तथा सम्बन्धित वार्ड पंच के इस तथ्य के सत्यापन करवाए बिना ही किया गया था कि लाभार्थी द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार वास्तव में किशत जारी करने हेतु निर्धारित स्तर का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया था| उक्त सत्यापन के अभाव में इस तथ्य की पुष्टि नही की जा सकी कि लाभार्थी वास्तव में किशत प्राप्त करने के योग्य थे। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है | अत: प्रधान तथा वार्ड पंच के सत्यापन के बिना ही किश्तें जारी करने बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ -2 इस बारे अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए|

रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां/दिनांक	**राशि**	**टिप्पणी**
19/18/11/15	37500	श्रीमति कृष्णा देवी को बिना सत्यापन के किया गया भुगतान
19/18/11/15	37500	श्रीमति तारा को बिना सत्यापन के किया गया भुगतान

17 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन, प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृतियां तथा सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं में प्रविष्टियाँ व निर्माण सामग्री की खपत न दर्शाए जाने बारे

चयनित मासों में व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 94 तथा 101 में दिए गये निर्देशों के अनुसार निर्माण कार्यों से सम्बन्धित आकलन (estimate), उनकी प्रशानिक एवं तकनीकी स्वीकृतियां एवं सम्बन्धित माप पुस्तिकाओं (measurement books) में प्रविष्टियाँ नहीं दर्शाई गई| साथ ही माप पुस्तिकाओं के रख रखाव से सम्बन्धित रजिस्टर भी अंकेक्षण के दौरान अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए। अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा परिशिष्ट "च" " में वर्णित विभिन्न निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय से सम्बन्धित आकलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृतियां, सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं एवं माप पुस्तिका रजिस्टर, तकनीकी प्राधिकारी द्वारा की गई आकलन रिपोर्ट (assessment report) तथा निर्माण सामग्री खपत विवरणीया (material consumption statements) आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए |

18 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज (quotations) प्रस्तुत न करना

अंकेक्षण के दौरान बार-2 आग्रह करने पर भी ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित किये गये क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज (निविदाएँ इत्यादि) अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये , जिस कारण क्रय करने से पूर्व हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 67 में दिए गये निर्देशों के अनुसार विहित प्रक्रिया अपनाई गई थी या नहीं, इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 क्रय से सम्बन्धित दस्तावेज(निविदाएँ इत्यादि) आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए|

रोकड़ बही	**रोकड़ भी पृष्ठ संख्यां**	**माह**	**राशि**	**विवरण**
मनरेगा	48	3/14	8100	निर्माण कार्य हेतु रोड़ी का क्रय
	48	3/14	8100	निर्माण कार्य हेतु रोड़ी का क्रय
	49 तथा 50	3/14	43812 (37800+6012)	निर्माण कार्य हेतु सीमेंट का क्रय एवं केरिज
स्वस्त्रोत एवं अनुदान	47	3/14	50000	ईंट ,बजरी, रेत
	47	3/14	38565(26685+11880)	बजरी, रेत
	48	3/14	16350	ईंट ,बजरी, रेत
	48	3/14	6295	हार्ड वेयर वस्तुएं

19 अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने बारे

अंकेक्षण के दौरान लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित वाउचर्स पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये जोकि एक गंभीर अनियमितता है| इस कारण किये गये भुगतान के सही होने बारे पुष्टि नहीं की जा सकी| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर निम्लिखित वाउचर्स पड़ताल हेतु सम्बन्धित अभिलेख (quotations) सहित प्रस्तुत कि ये जा ने सुनिश्चित किए जाए तथा भविष में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो यह भी सुनिश्चित किया जाए|

रोकड़ बही	**रोकड़ भी पृष्ठ संख्यां**	**माह**	**राशि**	**विवरण**
स्वस्त्रोत तथा अनुदान	48	3/14	7355	पूर्व बिल की राशि का शेष भुगतान
	48	3/14	96900	मोटर पम्प एवं पाइप का क्रय
	48	3/14	9121	उप प्रधान को अग्रिम राशि

20 भुगतानों के एवज में प्राप्त की गई रसीदें प्राप्त न करना

ग्राम पंचायत द्वारा भुगतानों / व्यय की एवज में रसीदें प्राप्त नहीं की जा रही है , जोकि हि० प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 50 (1) में दिए गए निदेशों की अवेहलना है| इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्नलिखित हैं| अत: इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित रसीदें अब प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी भुगतानों/व्यय के एवज में रसीदें ली जानी सुनिश्चित की जाए|

रोकड़ बही	रोकड़ बही पृष्ठ संख्यां	माह	राशि	विवरण
स्वस्त्रोत एवं अनुदान	10	11/2015	98000	खंड विकास अधिकारी को किया गया भुगतान
	13	12/2015	960	विभिन्न वस्तुओं का क्रय
	13	12/2015	880	बिजली के सामान का क्रय

21 स्टोर / स्टोक

(क) ग्राम पंचायत के भडार के प्रत्यक्ष सत्यापन (physical verification) के बारे में :-

अंकेक्षण द्वारा लिखित एवं मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा भंडार का भौतिक सत्यापन किये जाने से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया , जबकि हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 73 के अनुसार ग्राम पंचायत भंडार का प्रत्येक 6 माह के पश्चात भौतिक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है| इस प्रकार सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि भडार का भौतिक सत्यापन किया ही नही जा रहा है , जोकि निर्देशों की स्पष्ट अवेहलना है| अत; इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में नियमानुसार (नियम 73 तथा 77) अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए| इसके अतिरिक्त भविष्य में भंडार का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

(ख) सम्बन्धित रजिस्टर्स में प्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारे

अंकेक्षण के दौरान कई बार आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित बिलों के भुगतान एवं क्रय की गई वस्तुओं की प्राप्ति एवं जारी किये जाने सम्बन्धी प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर /स्टोक / स्टेशनरी रजिस्टर्स में नहीं दर्शाई गई , जोकि एक गम्भीर अनियमितता है | अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 69 तथा 72 के अतर्गत अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किये जाने सुनिश्चित किए जाए|

रोकड़ बही	रोकड़ भी पृष्ठ संख्यां	राशि	विवरण
मनरेगा	48	8100	निर्माण कार्य हेतु रोड़ी का क्रय

	48	8100	निर्माण कार्य हेतु रोड़ी का क्रय
	49 तथा 50	43812 (37800+6012)	निर्माण कार्य हेतु सीमेंट का क्रय एवं ढुलान
स्वस्त्रोत एवं अनुदान	47	839	स्टेशनरी
	47	161	यथोपरि
	47	50000	इनट,बजरी,रेत
	47	38565(26685+11880)	बजरी रेत
	48	16350	इनट,बजरी,रेत
	48	6295	हार्ड वेयर वस्तुएं
	74	10262.50	सीमेंट
	10	300	स्टेशनरी

(ग) Inventory Register (मुख्य रजिस्टर) का रख रखाव न किये जाने बारे

ग्राम पंचायत में inventory रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा रहा है , जिस कारण कार्यालय में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त नही होती है | अतः सुझाव दिया जाता है कि ग्राम पंचायत की सभी रोकड़ बहियों, स्टोर / स्टोक रजिस्टरों तथा अन्य विविध रजिस्टरों को Inventory Register में दर्ज किया जाए तथा भविष्य में नई रोकड़ वही तथा स्टोर/स्टॉक रजिस्टरॉ को प्रयोग में लाने से पूर्व inventory register में दर्ज किया जाना सुनिश्चित किया जाए , ताकि कार्यालय में प्रयोग में लाये जा रहे विभिन्न रजिस्टरों की सही जानकारी प्राप्त हो सके |

22 अग्रिम

(क) अस्थाई अग्रिमों की ₹20,000/- का समायोजन न करना

ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी (परिशिष्ट "घ") के अनुसार दिनांक 31/03/16 को अग्रिम से सम्बन्धित ₹20,000/- असमायोजित थी | इसके अतिरिक्त ऐसा भी प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम 2002 के नियम 30 में दिए गए निर्देशों के अनुसार अस्थाई अग्रिम रजिस्टर का रख रखाव नहीं किया जा र हा है, क्योंकि बार-2 आग्रह करने के उपरान्त भी यह अंकेक्षण के अवलोकन हेत प्रस्तुत नही किया गया| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा ₹20000/- का समायोजन करने के साथ-2 उक्त निर्देशानुसार विहित प्रपत्र पर अस्थाई अग्रिम की राशियों की प्रविष्टियाँ करके इसे आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

(ख) अनियमित रूप से ₹0.79 लाख को अग्रिम के रूप में जारी करना

यह प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के कार्यान्वन हेतु राशि जारी करते समय हि०प्र० पंचायती राज के नियम 2002 के नियम 107 में दिए गये निर्देशों की अनुपालना नहीं की जा रही है, जबकि नियमों में दिए गए निर्देशों के अनुसार पंचायत

द्वारा निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु राशियाँ participatory body या registered body के माध्यम से जारी की जानी अपेक्षित है| इसके इलावा निर्माण कार्यों पर व्यय का भुगतान मस्टर रोल तथा मेटीरियल के वास्तिवक बिलों के आधार पर ही किया जाना अपेक्षित है , परन्तु निम्नलिखित कुछ प्रकरणों में पाया गया कि निर्माण कार्यों के कार्यान्वयन हेतु व्यक्तिगत अग्रिम राशियाँ प्रदान की गई थी, जबकि नियम में ऐसा कोई भी प्रावधान प्रतीत नहीं होता है| अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में दिए गये निर्देशों का कड़ाई से अनुसरण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए|

रोकड़ बही	**पृष्ठ संख्या**	**माह**	**अग्रिम राशि**	**टिप्पणी**
स्व स्त्रोत तथा अनुदान	48	03/14	9121	उप प्रधान को अग्रिम राशि जारी
	73	12/14	50000	यथोपरि
	004	05/15	20000	वार्ड पंच को अग्रिम राशि जारी
		कुल योग	**79121**	

23 विविध

(क) दिनांक 31/03/2016 को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आय की वसूली के शेष होने बारे जानकारी उपलब्ध न करवाना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्यां 1 दिनांक 18/07/16 तथा audit संख्यां 5 दिनांक 20/07/16 द्वारा लिखित तथा मौखिक रूप से कई बार दिनांक 31/03/16 को विभिन्न स्त्रोतों से जितनी आय की वसूली शेष थी उ न से सम्बन्धित जानकारी मांगी गई थी , परन्तु अंकेक्षण समाप्ति तक यह जानकारी अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं करवाई गई| अंकेक्षण के दौरान गृह कर रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि रजिस्टर में प्रविष्टियों को update ही नही किया गया था जिसके अभाव में दिनांक 31/03/16 को गृह कर से सम्बन्धित कितनी राशि वसूल की जानी शेष थी, इस बारे स्थिति स्पष्ट हो पानी सम्भव नहीं थी| इस से यह भी प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत में आय से सम्बन्धित अभिलेखों का रख रखाव सही रूप से नहीं किया जा रहा है| अत: इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ-2 ग्राम पंचायत के आय से सम्बन्धित अभिलेखों का अधतनीकरण (update) करके दिनांक 31/03/16 को विभिन्न आय के स्त्रोतों से वसूली के शेष बारे विवरण तैयार करके तथा अपेक्षित राशि की वसूली करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए| इसके अतिरिक्त भविष्य में आय से सम्बन्धित अभिलेखों का नियमित रूप से अधतनीकरण (update) तथा आय की समय पर वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए|

(ख) बजट आकलन (budget estimate) निर्धारित समय अवधि में पारित न करवाने बारे

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 37 में दिए गये निर्देशों का अनुसरण पूर्णतया नही किया जा रहा है तथा बजट का आकलन भी

नियमानुसार निर्धारित समय अवधि (28 फरवरी से पूर्व) के भीतर पारित नहीं करवा या जा रहा था, जैसा कि अंकेक्षण के दौरान उपलब्ध करवाई गई जानकारी **(परिशिष्ट "ख")** "अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में बजट का आंकलन जारी निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि के भीतर तैयार एवं पारित करवाए जाने सुनिश्चित किये जाए|

(ग) विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि०प्र० पंचायती राज नियम 2002 के नियम 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभि लेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था| अंकेक्षण के दौरान अनुदान रजिस्टर, अस्थाई अग्रिम रजिस्टर, स्टोर/स्टोक रजिस्टर इत्यादि कई बार मांगने के उपरान्त भी अवलोकन हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये , जिससे यह प्रतीत होता है कि इनका रख रखाव ही नही किया जा रहा है| अत: इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अब इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए| इसके अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार / निर्देशानुसार रजिस्टर्स का रख रखाव तथा नियमित रूप से उनका update किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

24 लघु आपत्ति विवरणिका :- अलग से जारी नहीं की गई हैं।

25 निष्कर्ष :- खातों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या:– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV (iv) 6 / 2016–खण्ड–1–313–316 दिनाँक: 20.01.2017
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत देवरा, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, सोलन, जिला सोलन, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड कुनिहार, तहसील अर्की, जिला सोलन हि0प्र0

हस्ता / –
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.